

8.2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार आरक्षित/विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2026 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27-08-2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

8.3- ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु-सीमा पूर्ण कर चुके हैं परन्तु विभाग की संगत सेवानियमावली/शासनादेशों/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। यदि मुख्य परीक्षा, अभिलेख परीक्षण अथवा चयन के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण/ सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

8.4- यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किये जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले विज्ञापनों व उनसे सम्बन्धित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम/ अधिकतम आयु- सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन, संगत सेवानियमावली के क्रम में विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

9- आरक्षण-

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम/ शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा क्षैतिज आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला) अनुमन्य होगा।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-277/47-का-3-2021-13/07/2020, दिनांक- 19-02-2021 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

प्रश्नों की संख्या-100

परीक्षा की अवधि-2 घण्टा

पूर्णांक-100

क्र.सं.	विषय	अंक
1	भारतीय इतिहास: (Indian History): - सिन्धु घाटी की सभ्यता - वैदिक संस्कृति	05

21/5/2021

	● बौद्ध धर्म: गौतम बुद्ध (जीवनी एवं शिक्षायें) ● जैन धर्म: महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें) ● मौर्य वंश: सम्राट अशोक ● गुप्त वंश: समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय ● हर्षवर्द्धन ● राजपूत काल ● सल्तनत काल ● मुगल साम्राज्य ● मराठा ● ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ● ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	
2	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: (Indian National Movement): ● स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष ● स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका ● क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय ● विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 ● भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	05
3	भूगोल: (Geography): ● भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल ○ नदियां तथा नदियों की घाटी ○ भूजल संसाधन ○ पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद ○ मरूस्थल और शुष्क क्षेत्र ○ वन ○ खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में) ● भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल ● जलवायु तथा मौसम ● टाइम जोन ● जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास	05
4	भारतीय अर्थव्यवस्था: (Indian Economy): ● भारतीय अर्थव्यवस्था(1947 से 1991 तक) ○ योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनायें ○ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ○ हरित क्रांति ○ दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड	05

राजक/ky 2 9

	○ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार ● वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था ● वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार ○ कृषि सुधार ○ ढांचागत सुधार ○ श्रम-सुधार ○ आर्थिक सुधार ○ जी0एस0टी0	
5	भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration): ● भारतीय संविधान ○ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें ○ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ○ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ○ संसदीय प्रणाली ○ संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ○ न्यायिक ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ● जिला प्रशासन ● स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थायें	05
6	सामान्य विज्ञान (General Science): ● प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान ● प्रारम्भिक रसायन विज्ञान ● प्रारम्भिक जीव विज्ञान	05
7	प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic): ● पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव ● प्रतिशतता ● साधारण अंकगणितीय समीकरण ● वर्ग एवं वर्गमूल ● घातांक एवं घात ● औसत	05
8	सामान्य हिन्दी: (General Hindi): ● संधि ● विलोम शब्द ● पर्यायवाची शब्द ● वाक्यांशों के लिए एक शब्द ● लिंग	05

राज्य

५ २

५

	● समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ● मुहावरे- लोकोक्तियाँ ● सामान्य अशुद्धियाँ ● लेखक और रचनाएँ (गद्य एवं पद्य)	
9	सामान्य अंग्रेजी (General English) ● अंग्रेजी व्याकरण ● अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	05
10	तर्क एवं तर्कशक्ति: (Logic & Reasoning): ● वृहत एवं लघु ● क्रम एवं रैंकिंग ● संबंध ● समूह से भिन्न को अलग करना ● कैलेण्डर एवं घड़ी ● कारण और प्रभाव ● कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर) ● निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय	05
11	सामयिकी (Current Affairs): ● भारतीय एवं वैश्विक	10
12	सामान्य जागरूकता (General Awareness) ● भारत के पड़ोसी देश ● देश, राजधानी एवं मुद्रा ● भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ● भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस ● विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय ● भारतीय पर्यटन स्थल ● भारत की कला एवं संस्कृति ● भारत एवं विश्व के खेल ● भारतीय अनुसंधान संगठन ● प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक ● पुरस्कार एवं विजेता ● जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण	10

संज्ञा

५

२

९

13	अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण-02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
14	ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 ग्राफ (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
15	तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 तालिकाएं (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10

शर्तें-

- 1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित सेकेन्ड्री/सीनियर सेकेन्ड्री स्तर का होगा।
- 2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।
- 3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $\frac{1}{4}$ अंक की कटौती की जाएगी।

11- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट-

यदि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली (Shift)/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा० अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

12- स्कोर की वैधता अवधि-

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025, दिनांक 28-04-2025 के क्रम में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक (Score), आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किये जाने/ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 03 वर्ष तक प्रभावी होंगे।

13- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 13.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 13.02- अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.03- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 13.04- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 13.05- आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13.06- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

21/5/21